

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32,
आजमगढ ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पत्रांक:- /शा0स0ख0-32/ई-टेण्डर/2020-21/

दिनांक: 17.10.2020

विषय:- अति अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01/अ0अ0/2020-21
महोदय,

शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ के ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01/अ0अ0/2020-21 की प्रेस विज्ञापित की छः प्रतियां सी0डी0 सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस क्षेत्र के किन्ही दो बहुप्रचारित समाचार पत्रों में दिनांक 28.10.2020 के पूर्व एक दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
संलग्नक:-छः अदद प्रेस विज्ञापित/टेण्डर नोटिस सी0डी0 सहित।

भवदीय,

अधिकाशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32
आजमगढ

पत्रांक:- 1155 /शा0स0ख0-32/टेण्डर/दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 2-मुख्य अभियन्ता (शा0स0) सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ
- 3-अधीक्षण अभियन्ता चतुर्दशम् मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ।
- 4-जिलाधिकारी, आजमगढ।
- 5-पुलिस अधीक्षक, आजमगढ।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ।
- 7-एन0आई0सी0 आजमगढ।
- 8-अधिकाशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ, 16 सुल्तानपुर, 36 जौनपुर, बाढ़ खण्ड आजमगढ।
- 9-सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ।
- 10-नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिकाशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32
आजमगढ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

शारदा सहायक खण्ड-32

आजमगढ़

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-01/E.E./2020-21

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेशियल बिड) वेब पोर्टल <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से तालिका संख्या-01 के अनुसार आमंत्रित की जाती है एवं तालिका संख्या-02 में वर्णित कार्यक्रमानुसार विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष आनलाइन खोली जायेगी।

तालिका संख्या-01

लाट सं०	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि (लाख रु०में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० में	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम वरीयता की सिल्ट सफाई -						
1	आजमगढ़ राजवाहा के किमी० 45.000 से 76.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.50	15 दिवस	225+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=766	सी० एवं उच्च श्रेणी
2	फरिहा राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 10.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.48	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
3	मूलपुर राजवाहा के किमी० 67.000 से किमी० 79.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.57	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
4	तकिया राजवाहा के किमी० 1.700 से किमी० 11.700 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.48	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
5	घण्डेश्वर राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 10.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.45	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
6	बनकटा राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 8.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.38	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
7	अकबरपुर माइनर के किमी० 0.000 से किमी० 9.200 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.26	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
8	फिरोजपुर माइनर के किमी० 0.000 से किमी० 9.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.25	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
9	रईसा माइनर के किमी० 0.000 से किमी० 8.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.22	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
10	अमिला माइनर के किमी० 0.000 से किमी० 7.700 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.22	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
द्वितीय वरीयता की सिल्ट सफाई-						
11	निजामाबाद राजवाहा के किमी० 13.450 से किमी० 23.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.46	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
12	आजमगढ़ राजवाहा के किमी० 76.000 से किमी० 90.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.67	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
13	लखनपुर राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 10.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.39	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
14	तहवरपुर राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 10.800 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.39	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
15	कपानगंज राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 11.600 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.52	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
16	कप्ता राजवाहा के किमी० 0.000 से 13.000 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.52	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
17	बिलरियागंज राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 11.600 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.53	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
18	दोहरीघाट लिंक नहर के किमी० 5.000 से किमी० 10.000 तक स्क्रैपिंग का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.30	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
19	दोहरीघाट लिंक नहर के किमी० 22.000 से किमी० 36.500 तक स्क्रैपिंग का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.90	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
20	खालिसपुर राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 9.900 तक सिल्ट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.38	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी
21	दोहरीघाट समानान्तर नहर के किमी० 9.000 से किमी० 18.000 तक स्क्रैपिंग का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.54	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी० एवं उच्च श्रेणी

22	दोहरीघाट लिंक बाहर के किमी0 61.400 से किमी0 72.400 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.66	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
23	सिरसा राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 8.400 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.34	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
24	धोसी राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 15.000 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.63	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
25	इन्दारा राजवाहा के किमी0 13.000 से किमी0 34.800 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	1.07	15 दिवस	225+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=766	सी0 एवं उच्च श्रेणी
26	आजमगढ़ राजवाहा के किमी0 92.000 से किमी0 102.000 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.50	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
27	करमपुर गाइजर के किमी0 2.000 से किमी0 14.200 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.48	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
28	इन्दारा राजवाहा के किमी0 48.000 से किमी0 61.000 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.55	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी
29	नागपुर राजवाहा के किमी0 12.000 से किमी0 24.000 तक स्लिट सफाई का कार्य।	बिल आफ क्वांटिटी के अनुसार	0.52	15 दिवस	150+18% GST+ 500(स्टेशनरी चार्ज)=677	सी0 एवं उच्च श्रेणी

तालिका संख्या-02

Sl. No.	Particulars	Date	Time
1-	Notification	17-10-2020	
2-	Upload on website	28-10-2020	
3-	Bid Submission Start	28-10-2020	11:00
4-	Bid Submission End	04-11-2020	11:00
5-	Technical Bid Opening	05-11-2020	05:00
6-	Financial Bid Opening	Date and Place to be decided after technical bid evaluation and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid	12:00

नियम एवं शर्तें-


1. इस ई-निविदा की सूचना, विवरण व शर्तें ज0प्र0 सरकार की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाईट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट <http://idup.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
2. इस ई-निविदा की सूचना से सम्बंधित शेष सूचनायें, शर्तें एवं शुद्धीकरण सम्बंधी सूचनायें वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेंगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाईट का निरन्तर अवलोकन करने का कष्ट करें।
3. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ में ई-टेंडरिंग हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ई-टेंडरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पढ़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. निविदादाता को निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यस्थल की जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाता को निविदा मूल्य टैक्स सहित (जी0एस0टी0) की धनराशि तालिका-1 के कालम सं0 6 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा शरीहर धनराशि तालिका-1 के कालम सं0 4 के अनुसार आनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ केवल सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) के समस्त अभिलेखों की स्कैन प्रति वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोलने के समय उपरोक्त समस्त अभिलेखों की मूल प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वेबसाईट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
10. इच्छुक निविदादाताओं को चाहिए कि वह वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों को ठीक प्रकार से वर्गीकृत करके समस्त अभिलेखों को इन्डैक्स में दिये गये क्रमानुसार ही व्यवस्थित एवं पेजिंग करके अपलोड करें।
11. ठेकेदार द्वारा वह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कार्य के दौरान शत-प्रतिशत किया जाएगा।
12. अनुभव - निविदादाता को अनुभव के रूप में सी0पी0डब्लू0डी0 मैनुअल के अनुसार विगत पाँच वर्षों में सफलता पूर्वक संपादित किये गये कार्यों के सम्बन्ध में निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राजकीय विभाग के अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हों -

- (1) तीन समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 40 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
- (2) दो समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 60 प्रतिशत से कम न हो,
अथवा
- (3) एक समान प्रकृति के कार्य जिनकी लागत कार्य के 80 प्रतिशत से कम न हो,
13. टर्न ओवर – पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष की अधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट का वार्षिक टर्न ओवर 75% से कम न हो।
14. निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ रु० 100/- (नान जुडिशियल) स्टैम्प पेपर पर रु० 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर घोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। निविदादाता द्वारा जी०एस०टी०, आयकर, लेबरसेस, रायल्टी व अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करना होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदत्त दरों में आयकर, लेबर सेस, रायल्टी, टोल टैक्स तथा अन्य प्रचलित टैक्स नियमानुसार समाहित होंगे जबकि निविदत्त दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं होगा। जी०एस०टी० का भुगतान विभाग द्वारा बीजक की धनराशि के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।
16. इस निविदा को बिना कारण बताये, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया या घमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो भी उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य निविदादाता छुपाकर अनुबन्ध करता है तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुए प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी एवं कराए गये कर्षों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
20. राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्तागण निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
21. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं निविदा दाता को भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जा सकता है।
22. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
23. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि तथा समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
24. IDT-1, IDT-2, IDT-3, वैध पंजीकरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
25. तकनीकी बिड के Evaluation में सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
26. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के निहित प्रावधानों के क्रम में कार्य की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 10 प्रतिशत तक दर कम डालने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक Below दर डालने पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर से अतिरिक्त सिव्थोरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। वांछित सिक्युरिटी डिपोजिट एवं परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
27. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से साम्प्रदाय अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो शासनादेश सं०: 16/326/17-27-सिं-3-08 टी०/84 दिनांक: 21.04.2017 के पैरा सं०-05 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आशंका की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।
28. कार्य तात्कालिक प्रगति के है तथा नहर बन्दी अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य है। विलम्ब होने की दशा में अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती की कार्यवाही की जा सकती है।
29. अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इतत आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
30. वैध वित्तीय निविदाओं में एक समान निविदत्त कार्य की लागत आंकलित होने पर निविदा समिति का निर्णय मान्य होगा।
31. यह निविदा अग्रिम रूप से बजट आवंटन/धन उपलब्धता के आधार पर निर्गत की जा रही है। यदि किन्हीं कारणों से बजट आवंटन में परिवर्तन होता है तो केवल प्राप्त बजट आवंटन के सापेक्ष ही कार्य का सम्पादन कराया जायेगा।
32. प्रत्येक निविदादाता को निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को बिड के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है-
- 1-वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2), स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) की प्रति।
- 2-पिछले तीन साल का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/एससेसमेन्ट आर्डर अथवा एससेसमेन्ट आर्डर न होने की दशा में आईटी०आर० एक्नालेजमेन्ट।

- 3-समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 4-पिछले तीन वर्ष की बैलेंस शीट।
- 5-सौ रुपये के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रुपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा की दरें 90 दिनों तक मान्य होगी का प्रमाण-पत्र।
- 6-संस्था के प्रकरण में पार्टनरशीप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
- 7-निविदादाता के पास निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रपत्र पर टी0एण्डपी0 एवं अन्य विवरण।
- 8-टिन, पैन तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।
- 9-पोकलेन/जे0सी0बी0 के स्वामित्व/किराया नामा सम्बन्धी शपथ-पत्र जिसमें मशीन के स्वामी का हस्ताक्षर एवं मोबाइल नं0 अंकित हो
33. कोई भी शुद्धि पत्र (Corrigendum) ई-टेंडर वेबसाइट पर देखते रहे।
34. द्वितीय वरीयता की सिल्ट सफाई के कार्यों का अनुबन्ध घनावंटन के पश्चात् होगा।
35. लाट संख्या-01, 12,18, 19, 21, 22, 25, 26 एवं 28 पर अंकित कार्य पोकलेन द्वारा सम्पादित कराया जायेगा।

विशेष शर्तें-

- 1-नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य में निकाली गयी सिल्ट/मिट्टी Engineer-in-charge के निर्देशानुसार उचित डिस्पोजल/ ड्रेसिंग करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में तदनुसार दरों में कटौती कर दी जायेगी, जिस हेतु ठेकेदार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा। नहर की बेड में उचित रूप से ड्रेसिंग एवं लाइन डोरी इत्यादि लगाकर कार्य कराया जाना होगा।
- 2-सिल्ट सफाई का कार्य नहर बन्दी अवधि में ही पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 3-अनुबन्ध का गठन उपलब्ध बजट आवंटन के आधार पर किया जायेगा।
- 4-पुलों के नीचे की सिल्ट/मिट्टी की सफाई कराना अनिवार्य होगा।
- 5-निविदा प्रपत्र में वर्णित कार्य समय-समय पर प्रचलित सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराना होगा।


 अधिशासी अभियन्ता
 शारदा सहायक खण्ड-32
 आजमगढ़